फाईल सं. जेड.28015/91/2018 पीपीएंडसी
भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

'आयुष भवन',
'बी'-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलेक्स,
आईएनए, नई दिल्ली-110023.
दिनांक : 30 मई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में "महामहिम" शब्दों का प्रचलन समाप्त करना।

अधोहस्ताक्षरी को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं.7/25/2012-एम एंड जी का संदर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है जिसके साथ उपर्युक्त विषय पर 31 जनवरी, 2013 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संलग्न है।

2. कार्यालय ज्ञापन सं.7/25/2012-एम एंड जी दिनांक 31 जनवरी, 2013 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि औपचारिक अवसरों के दौरान **'His Excellency' अथवा उसके हिंदी पर्याय 'महामहिम'** शब्दों का प्रयोग समाप्त किया जाए तथा उनके स्थान पर **'Hon'ble President' अथवा हिंदी में 'राष्ट्रपति महोदय'** शब्दों का प्रयोग किया जाए। संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.7/25/2012-एम एंड जी दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन दोहराया गया था।

3. सभी संबंधितों को स्टेशनरी के मितव्ययी उपयोग की दृष्टि से संदर्भाधीन पत्राचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ने/डाउनलोड करने का अनुरोध है। ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट: www.ayush.gov.in पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को: www.ayush.gov.in > निविदा/रिक्ति > आयुष मंत्रालय के अधीन अधिकारियों की सूचना के लिए अन्य मंत्रालयों से प्राप्त पत्राचार लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

30/5

(के.बी.सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति

1. सीईओ, एनएमपीबी/सलाहकार आयुर्वेद (एमएन)/(डीसीके)/सलाहकार (होम्योपैथी)/ उप महानिदेशक (आरसीए)।
2. निदेशक (एफएलके)/(एसआरकेवी)/ डिप्टी सीईओ(एनएमपीबी)/ संयुक्त सलाहकार (योग)।
3. उप सचिव (आरएम)/उप निदेशक (एनएमपीबी)/ उप सलाहकार (डॉ. कासमी)/डॉ. रघु/डॉ. वरिष्ठ परामर्शदाता (एसएस)।
4. अवर सचिव (वाईवीएस)/ अवर सचिव (एबी)/ अवर सचिव (बीएन)/ अवर सचिव (आरके)/ अवर सचिव (एस)/ अवर सचिव (एआर)/उप निदेशक (पीएंडई)/सहायक सलाहकार (आईजीएम)/(चिंता)।

का.ज्ञा./ई.

P.T.O

5. अनुसंधान परिषदों के सभी महानिदेशक और राष्ट्रीय संस्थानों के सभी निदेशक/सचिव, सीसीआईएम/सीसीएच/एमडी, आईएमपीसीएल/एचपीएल/पीएलआईएम/पीसीआईएम एंड एच।
6. एनआईसी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न पत्राचार को आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. सचिव (आयुष) के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (पीकेपी) के प्रधान निजी सचिव /संयुक्त सचिव (आरजे) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पीएनआरके) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।

का.ज्ञा./ई.